

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

परशुराम धानका
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
25.05.2022

मिसल नम्बर
22/2022/प्रा.पत्र/2022

तारीख दायरा
06.04.2022

डॉ. मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंकआवेदक

बनाम

- 1—श्री सुधीर जैन पुत्र श्री नवरतन मल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स आदिनाथ प्रोविजन स्टोर 67, जैन मन्दिर के पास आदर्श नगर टोंक जिला टोंक राज. निवासी 67, जैन मन्दिर के पास आदर्श नगर टोंक जिला टोंक राज.
- 2—श्री शिवशंकर खण्डेलवाल पुत्र श्री हरि नारायण खण्डेलवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स आयुष इण्डस्ट्रीज एसएस-66, राजधानी कृषि उपज मण्डी, रोड नं. 12, वीकेआई एरिया सीकर रोड जयपुर राज. निवासी प्लॉट नं. 62, कल्याण कुंज, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर राज.
.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

- 1—पेरोकार सरकार उपस्थित।
- 2—अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं. 1 श्री सुधीर जैन उप.।

—निर्णय—

दिनांक 25.05.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.10.2021 को समय बाद दोपहर 02:31 पी.एम. पर मैसर्स आदिनाथ प्रोविजन स्टोर 67, जैन मन्दिर के पास आदर्श नगर टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ श्री सुधीर जैन पुत्र श्री नवरतन मल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सुधीर जैन ने स्वयं को मैसर्स आदिनाथ प्रोविजन स्टोर 67, जैन मन्दिर के पास आदर्श नगर टोंक जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, मसाले, नमकीन, कन्फैक्शनरी आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ सेंधा नमक श्री जी ब्राण्ड (Rock Salt Sendha Namak Shree Ji Brand) दुकान की रैक में 1-1 किलोग्राम के 12 नग पॉली पैक रखे हुए थे, जिसे देखने पर मिलावट की शंका हाने पर विक्रेता श्री सुधीर जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री सुधीर जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह सेंधा नमक श्री जी ब्राण्ड (Rock Salt Sendha Namak Shree Ji Brand) जिसके बैच नम्बर अनुपस्थित एवं पैकिंग की दिनांक अनुपस्थित थी, ज्यों



1704

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

का त्यों वास्ते नमूना जांच कय किए जा रहे है, के 1-1 किलोग्राम के 4 नग पॉली पैक कुल 4 किलोग्राम खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा सेंधा नमक श्री जी ब्राण्ड (Rock Salt Sendha Namak Shree Ji Brand) 1-1 किलोग्राम के 4 नग पॉली पैक में से 1-1 किलोग्राम के एक-एक नग के नियमानुसार चार भाग तैयार कर, चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-2913 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई-2913 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।


आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री सुधीर जैन पुत्र श्री नवरतन मल जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स आयुष इण्डस्ट्रीज एसएस-66, राजधानी कृषि उपज मण्डी, रोड नं. 12, वीकेआई एरिया सीकर रोड जयपुर राज. का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स आयुष इण्डस्ट्रीज एसएस-66, राजधानी कृषि उपज मण्डी, रोड नं. 12, वीकेआई एरिया सीकर रोड जयपुर राज. को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिस पर उक्त फर्म के व्यवहारी अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि. व आधार कार्ड की प्रति प्रेषित की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/3228 दिनांक 18.11.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1462/एक्ट/2021/1386 दिनांक 08.11.2021 के अनुसार विक्रेता श्री सुधीर जैन से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु कय किया गया सेंधा नमक श्री जी ब्राण्ड (Rock Salt Sendha Namak Shree Ji Brand) एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप (Mis-Branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने मिथ्याछाप (Mis-Branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का सेंधा नमक श्री जी ब्राण्ड (Rock Salt Sendha Namak Shree Ji Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं. 1 श्री सुधीर जैन उपस्थित हुए एवं अपना व अप्रार्थी सं0 2 की ओर से जुर्म स्वीकार किया। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस सेंधा नमक श्री जी ब्राण्ड




(Rock Salt Sendha Namak Shree Ji Brand) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर मिथ्याछाप (Mis-Branded) व अवमानक (Sub-Standard) का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया सेंधा नमक श्री जी ब्राण्ड (Rock Salt Sendha Namak Shree Ji Brand) नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 पर शास्ति रूपये 35,000/- (अक्षरे पैंतीस हजार) रू० तथा अप्रार्थी सं. 2 पर शास्ति रूपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 25.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।




(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज०